28/3/18

पत्रावली वास्तें सुनाये जानें आदेश पेश हुई। प्रकरण में उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा दिनांक 15.02.2018 को प्रस्तुत कर दिया था। राजीनामा मय जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण नें निवेदन किया कि वादी का वाद डिक्री किये जानें का आदेश प्रदान करें।

राजीनामा पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में विधिक विचारण करनें के उपरान्त हम यह पाते है कि ग्राम सारोला तहसील दीगोद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 182 रकबा 1.64 हे0, ख0नं0 427 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 437 रकबा 0.16 हे0 ख0नं0 754 रकबा 1.46 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.30 हे0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी धर्मेन्द्र उर्फ कालू लाल दत्तक पुत्र सत्यनारायण आत्मज बृजमोहन का कथन है कि प्रतिवादी नं0 1 रामानन्द बाई उर्फ दयाराम बाई पत्नी सत्यनारायण अपनें पति सत्यनारायण की मृत्यु के उपरान्त ग्राम बलकासा में धनराज गुजर नाम व्यक्ति से नाता विवाह कर उसी के साथ निवास कर रही है। जिससे उसका सत्यनारायण के हिस्से की आराजी में कोई अधिकार शेष नहीं रह जाते है। उक्त तथ्य के सम्बन्ध में वादी की ओर से ग्राम पंचायत सारोला से जारी प्रमाण पत्र दिनांक 19.02.2018 प्रस्तुत किया। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रतिवादी नं0 1 ने बलकासा जिला बूंदी निवासी धनराज गूजर से नाता विवाह कर लिया है। स्वयं प्रतिवादी नं0 1 ने भी उपस्थित होकर उक्त कथनों को स्वीकार किया है तथा विवादित आराजी में अंकित अपनें हिस्से पर से नाम डिलीट किये जानें की सहमति प्रकट की है। प्रतिवादी नं0 1 स्वयं विवादित भूमि पर से अपना नाम हटाये जानें में सहमत है तथा अन्य सहखातेदारान को भी प्रतिवादी नं0 1 का नाम हटानें में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में वादी नें यह भी कथन किये है कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम के साथ नाबालिग शब्द अंकित है, जबकि वादी बालिग हो चुका है तथा वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कालूलाल दर्ज है, जबकि पहचान के दस्तावेजों में धर्मेन्द्र है, जिससे कालूलाल के स्थान पर धर्मेन्द्र दर्ज किया जावें। उक्त के सम्बन्ध में वादी की ओर से छायाप्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंक तालिका, छायाप्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सारोला दिनांक 18.05.2017 प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों के आधार पर वादी की जन्म दिनांक 21.06.1995 एवं वादी का नाम धर्मेन्द्र होना प्रमाणित है। इस आधार पर वादी बालिग हो चुका है तथा उसका नाम कालूलाल राजस्व रिकॉर्ड में नाबालिग की हैसियत से दर्ज चला आ रहा है, जो दुरूस्तनी है।

लिहाजा वाद वादी उभयपक्ष की सहमति से स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सारोला तहसील दीगोद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 182 रकबा 1.64 हे0, ख0नं0 427 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 437 रकबा 0.16 हे0 ख0नं0 754 रकबा 1.46 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.30 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी नं0 1 रामानन्द बाई उर्फ

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
दयाराम बाई पत्नी सत्यनारायण का नाम डिलीट किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रविष्टि कालूलाल नाबा0 पुत्र सत्यनारायण के स्थान पर धर्मेन्द्र उर्फ कालूलाल पुत्र सत्यनारायण जाति गूजर दर्ज किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।	